संख्या-41/2018/सा0-1133/38-2-2018-सा0-1133/2018

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 14 नवम्बर, 2018**

विषय:- प्रदेश के 10 जनपदों के पृथक-पृथक 10 विकास खण्डों के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-जी0ओ0-196/बजट अनु0/सामु0वि0/2018-19, दिनांक 29-10-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय विकास खण्डों के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग) लखनऊ द्वारा प्रारम्भिक प्राक्कलन गठित कर मुख्य प्राविधिक परीक्षक, एपेक्स टी0ए0सी0, ग्राम्य विकास उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति से मूल्यांकन कराकर प्रेषित करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के 10 जनपदों के अन्तर्गत उल्लिखित विकास खण्डों के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग) लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए मुख्य प्राविधिक परीक्षक, एपेक्स टी0ए0सी0, ग्राम्य विकास उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा आकलित लागत, जिसका उल्लेख निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में किया गया है, की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि ¼(रूपये लाख में)

क्र0	**विषय/विकास खण्ड का नाम**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित धनराशि**	**प्रथम किश्त/ संपूर्ण धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड सिद्धौर के अनावासीय/ आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु।	149.58	149.58	संपूर्ण धनराशि
2	जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड हरैया के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु।	190.35	190.35	संपूर्ण धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड मोतीचक के सामुदायिक हाल निर्माण कार्य हेतु।	47.51	47.51	संपूर्ण धनराशि
4	जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड श्रीदत्तगंज के सभाकक्ष /प्रमुख कक्ष के निर्माण कार्य हेतु।	65.61	65.61	संपूर्ण धनराशि
5	जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत विकास खण्ड मैथा के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु।	40.27	40.27	संपूर्ण धनराशि
6	जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड अमानीगंज के अनावासीय/ आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु।	**253.79**	**126.90**	प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि
7	जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत के अनावासीय/ आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु।	188.72	188.72	संपूर्ण धनराशि
8	जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जखनियाँ के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु।	143.59	143.59	संपूर्ण धनराशि
9	जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड अकराबाद के अनावासीय/ आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु।	194.12	194.12	संपूर्ण धनराशि
10	जनपद हाथरस के अन्तर्गत विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु।	199.08	199.08	संपूर्ण धनराशि
	कुल योग	1472.62	1345.73	
	शब्दों में	**रूपये चौदह करोड़ बहत्तर लाख बहसठ हजार मात्र।**	**रूपये तेरह करोड़ पैंतालीस लाख तिहत्तर हजार मात्र।**	

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। निर्माण के समय मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदयित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(4) प्रस्तावित प्रायोजना को नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(5) प्रस्तावित प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॅारिटी एवं अग्निशमन विभाग से स्वीकृत कराया जाय।

(6) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(7) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(8) आयुक्त, ग्राम्य विकास, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।

(9) इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(10) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(11) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय।

(12) उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(15) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(21) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व सक्षम स्तर से ड्राईंग व विस्तृत प्राक्कलन का अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार कार्य कराया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-03-जिला

विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-41/2018/सा0-1133**(1)/38-2-2018 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, बाराबंकी, आजमगढ़, कुशीनगर, बलरामपुर, कानपुर देहात, फैजाबाद, गोण्डा, गाजीपुर, अलीगढ़ एवं हाथरस।
4- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी, आजमगढ़, कुशीनगर,बलरामपुर, कानपुर देहात फैजाबाद, गोण्डा, गाजीपुर, अलीगढ़ एवं हाथरस।
5- कोषाधिकारी, बाराबंकी, आजमगढ़, कुशीनगर, बलरामपुर, कानपुर देहात, फैजाबाद, गोण्डा, गाजीपुर, अलीगढ़ एवं हाथरस।
6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाराबंकी, आजमगढ़, कुशीनगर, बलरामपुर, कानपुर देहात, फैजाबाद, गोण्डा, गाजीपुर, अलीगढ़ एवं हाथरस।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग) सी-6/270, विनीत खण्ड, निकट सेन्ट्रल बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।